

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

संख्या: १३३, /III-C-2017/SLSA/2017

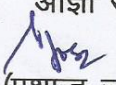
दिनांक: २३, सितम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) संशोधित विनियमावली, 2017 कहा जायेगा।
(2) यह राज्य प्राधिकरण की अधिसूचना की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
2. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 2006 के पैरा-13 में उप-पैरा-13.6 जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:-

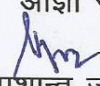
“राज्य प्राधिकरण मुख्य न्यायाधीश/मुख्य संरक्षक के परामर्श से राज्य अथवा जिला प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय विधिक समिति के विनिश्चय के अनुसार विधिक सेवा की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करने वाले सूचीबद्ध वकीलों को दी जाने वाली फीस की मात्रा नियत करेंगे। राज्य प्राधिकरण द्वारा अपनायी गई भुगतान दरें परिशिष्ट-“क” में दी गई हैं। जब कभी उचित और आवश्यक समझा जाए, ऐसी फीस अनुसूची राज्य प्राधिकरण द्वारा मुख्य न्यायाधीश/मुख्य संरक्षक के परामर्श से संशोधित की जा सकती है।”

आज्ञा से,

(प्रशान्त जोशी)
सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड रा0वि0से0प्रा0
नैनीताल।

संख्या: १३३(१)/III-C-2017/SLSA/2017

दिनांक: २३, सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:— निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की, जिला हरिद्वार को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 50 प्रतियां इस प्राधिकरण को भेजने का कष्ट करें।

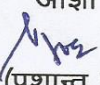
आज्ञा से,

(प्रशान्त जोशी)
सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड रा0वि0से0प्रा0
नैनीताल।

संख्या: १३३(१)/III-C-2017/SLSA/2017

दिनांक: २३, सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस विनियमों को राज्य विधायी के सम्मुख अविलम्ब रखें।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल।
4. समस्त जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
5. राज्य प्राधिकरण बोर्ड के समस्त सम्मानित सदस्यगण।
6. निजी सचिव, मा0 कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को मा0 न्यायमूर्ति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रशान्त जोशी)
सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड रा0वि0से0प्रा0
नैनीताल।

परिशिष्ट "क"
(पैरा 13.6 देखिए)

सर्विस ट्रिब्युनल के लिए		
क्र. स.	विवरण	फीस
1.	ट्रिब्युनल के समक्ष कार्यवाही करने के लिए।	रु0 300/- प्रति उपस्थिति परन्तु प्रति वाद के लिए अधिकतम रु0 3000/-
2.	लिखित विधिक परामर्श।	रु0 1000/- प्रति वाद।
3.	ड्राफ्टिंग एवं प्लीडिंग जिसमें काउन्टर एवं रिज्वाइन्डर शपथ-पत्र शामिल है।	रु0 1500/- मय परामर्श।
श्रम न्यायालयों के लिए		
1.	ड्राफ्टिंग/प्लीडिंग जिसमें विधिक सलाह शामिल है।	रु0 1000/- प्रति वाद।
2.	वाद की कार्यवाही करने के लिए।	रु0 300/- प्रति उपस्थिति परन्तु प्रति वाद के लिए अधिकतम रु0 3000/-
मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए		
1.	जमानती वाद।	रु0 300/- प्रति जमानती प्रार्थना-पत्र।
2.	गैर जमानती वाद।	रु0 1000/- प्रति जमानती प्रार्थना-पत्र।
3.	प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र, स्थगन एवं हाजरीमाफी प्रार्थना पत्र को छोड़कर।	रु0 500/- प्रति प्रार्थना-पत्र।
राजस्व वादों में जिनमें चकबन्दी मामलों भी शामिल है।		
1.	रेवेन्यु बोर्ड	रु0 3000/- प्रति वाद।
2.	कमिश्नर/एडिशनल कमिश्नर/डी.डी.सी./ज्वाइन्ट डाइरेक्टर	रु0 2000/- प्रति वाद।
3.	सहायक कलेक्टर/एस.ओ.सी./अतिरिक्त कलेक्टर	रु0 1500/- प्रति वाद।
4.	तहसीलदार/ए.सी.ओ./सी.ओ.	रु0 1500/- प्रति वाद।
सत्र न्यायालय		
1.	सत्र न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही करने के लिए।	रु0 500/- प्रति उपस्थिति परन्तु प्रति वाद के लिए अधिकतम रु0 6000/-
2.	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध क्रिमिनल अपील।	रु0 2000/- प्रति अपील।



3.	क्रिमिनल रिवीजन	रू0 2000 /- प्रति रिवीजन ।
4.	जमानत प्रार्थना-पत्र	रू0 1500 /- प्रति प्रार्थना-पत्र ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज/वरिष्ठ सिविल जज		
1.	नियत प्राधिकारी के समक्ष मूल सिविल वाद की पूर्ण कार्यवाही करने के लिए ।	रू0 4000 /- प्रति कन्स्टेड वाद / रू0 2000 /- प्रति अनकन्स्टेड वाद
2.	विचारण व वारण्ट वाद ।	रू0 3000 /- प्रति वाद ।
3.	समन वाद ।	रू0 1500 /- प्रति वाद ।
4.	सत्र न्यायालय में कमिटल जिसमें रिमाण्ड कार्यवाही शामिल है ।	रू0 500 /- प्रति वाद ।
5.	दिवानी वाद में प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग ।	रू0 1500 /- प्रति वाद ।
6.	सिविल एवं फौजदारी वाद में लिपिकीय व्यय	रू0 500 /- प्रति वाद ।
जिला एवं सत्र न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/परिवार न्यायालय		
1.	दिवानी वाद में लिखित परामर्श ।	रू0 750 /- प्रति वाद ।
2.	फौजदारी वाद में लिखित परामर्श ।	रू0 750 /- प्रति वाद ।
3.	सिविल प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग ।	रू0 1500 /- प्रति वाद ।
4.	फौजदारी शिकायत की ड्राफ्टिंग ।	रू0 1000 /- प्रति वाद ।
5.	वैवाहिक/रेन्ट वाद ।	रू0 3500 /- प्रति वाद ।
6.	सिविल अपील ।	रू0 3000 /- प्रति वाद ।
7.	एकपक्षीय या वाद वापस लेने या संधि के अनुसार वाद निर्णित ।	रू0 1500 /- प्रति वाद ।
8.	दिवानी रिवीजन ।	रू0 2000 /- प्रति वाद ।
9.	फौजदारी अपील ।	रू0 2000 /- प्रति वाद ।
10.	दिवालिया एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रोबेट/लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेतु प्रार्थना पत्र	रू0 3000 /- प्रति कन्स्टेड वाद / रू0 1000 /- प्रति अनकन्स्टेड वाद ।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद		
1.	घायल होने पर	रू0 3000 /- प्रति वाद ।
2.	मृत्यु होने पर	रू0 3000 /- प्रति वाद ।

उच्च न्यायालय		
1.	रिट पिटीशन	रु0 6000 /- प्रति पिटीशन।
2.	हेबियस कॉर्पस पिटीशन	रु0 3500 /- प्रति पिटीशन।
3.	प्रथम सिविल अपील	रु0 7500 /- प्रति अपील।
4.	सिविल रिवीजन	रु0 3000 /- प्रति रिवीजन।
5.	क्रिमिनल अपील (सिंगल बैंच)	रु0 7500 /- प्रति अपील।
6.	क्रिमिनल अपील (डिवीजन बैंच)	रु0 7500 /- प्रति अपील।
7.	क्रिमिनल रिवीजन	रु0 3000 /- प्रति रिवीजन।
8.	जमानत प्रार्थना-पत्र	रु0 2000 /- प्रति प्रार्थना पत्र।
9.	लिखित विधिक सलाह।	रु0 1000 /- प्रति सलाह।
10.	द्वितीय अपील	रु0 7500 /- प्रति अपील।
11.	आदेश के विरुद्ध अपील	रु0 4000 /- प्रति अपील।
12.	विशेष अपील	रु0 4000 /- प्रति अपील।
13.	सी-482	रु0 3000 /- प्रति पिटीशन।
14.	सिविल स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र	रु0 2500 /- प्रति प्रार्थना पत्र।
प्रकीर्ण		
1.	निष्पादन वाद	रु0 4000 /- प्रति वाद।

नोट:-

- यदि मामला न्यायालय अथवा लोक अदालत के माध्यम से सुलह आधार पर तय होता है तो, नियत फीस राशि की धनराशि का 50 प्रतिशत देय होगा।
- 50 प्रतिशत फीस वादपत्र/पिटीशन/वकालतनामा, यथास्थिति, को दाखिल करते समय इस वचन के साथ देय होगी कि, यदि, अधिवक्ता वाद की पैरवी को करने में असफल होता है, तो यह फीस प्राधिकरण को वापिस की जायेगी।

आज्ञा से,


(प्रशान्त जोशी)

सदस्य-सचिव,

उत्तराखण्ड रा0वि0से0प्रा0, नैनीताल